[Dr. B. N. Antani.]

paper to please the mighty foreign powers, our friends.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 2-30 p.m.

The House then adjourned for lunch at fiftytwo minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at half-past two of the clock. THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) in the Chair.

ANNOUNCEMENT *RE* ARRESTS OF MPs IN KUTCH SATYAGRAHA

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): I have to inform Members that Chairman has received the following communication dated the 28th April, 1968 from the District Superintendent of Police, Kutch:—

"Shri N. K. Shejwalker, Member of Rajya Sabha, is arrested on 28-4-68 at 10.30 hrs. near village Dhrabana six miles north of Khavda in Kutch for offences u/s 143, 145, 188 IPC. He is sent to Khavda under judicial custody."

I have also to inform Members that Chairman has received the following communication dated the 29th April, 1968 from the Judicial Magistrate, First Class, Khavda:—

"Narayan Krishnarav Shejwalker, Member arrested today and convicted for offence under sections 143 and 145 Indian Penal Code and sentenced to 7 days simple imprisonment for offering satyagraha near Khavda. He is convicted under section 188, Indian Penal Code for making breach of the District Magistrate, Bhuj and fined Rs. 25 in default to undergo 7 days simple imprisonment."

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान) : मुझे एक निवेदन करना है । समाचारपत्रों से मुझे यह जानकारी मिली कि श्री शेजवलकर जी ने इस प्राहिबिटेड एरिया में 27 तारीख को प्रवेश किया । २७ तारीख को प्रवेश करने के बाद अभी आपने जो समाचार पढ़ा है उसमें 28 तारीख की गिरफ्तारी का उल्लेख है । तो 27 तारीख को जब श्री शेजवलकर जी ने इस प्रतिबन्धित क्षेत्र में प्रवेश किया तो 27 तारीख को गिरफ्तारी न होकर 28 तारीख को क्यों हुई ? सवाल खड़ा होता है कि जो वहाँ सत्याग्रह इतने दिन से चल रहा है और सरकार के एक निर्णय के विरोध में पार्टियों के द्वारा इस सवाल पर सत्याग्रह किया जा रहा है, इस सत्याग्रह के द्वारा सरकार से यह अपेक्षा है कि वह इन सत्याग्रहियों के प्रति नियमानुकूल चलेगी । अखबारों में जो खबर है उसके अनुसार श्री शेजवलकर जी के पहले जो जत्था गया उसको प्राहिबिटेड एरिया में प्रवेश करने के बाद कहा गया कि जो पुलिस चौकी 10 किलोमीटर दूर बनी हुई है वहाँ तक तुम्हें पैदल चल कर जाना पड़ेगा । जब वहाँ प्रतिबन्धित क्षेत्र है तो यह आश्चर्यजनक है कि प्रतिबन्धित क्षेत्र के प्रवेश के स्थान पर ही पुलिस की चौकी नहीं है गिरफ्तार किए जाने वाले लोगों के लिए, और 10 किलोमीटर तक प्रतिबन्धित क्षेत्र में आदमी चला जाय तो सरकार की निगाह में इस आधार पर कोई कानून का उल्लंघन नहीं होता । जब संसद्-सदस्यों के प्रति यह रवैया है दिनभर कड़ी धूप में बिठाकर, बिना पानी के बिठाए रखना, अगर सत्याग्रहियों के साथ सरकार यह रवैया रखना चाहती है तो यह सत्याग्रहियों के साथ व्यवहार करने वाला रवैया नहीं है । लोगों को शान्तिपूर्वक सरकार के किसी निर्णय के विरोध मे प्रदर्शन करने की भावना को यह प्रोत्साहन नहीं देता बल्कि उन्हें प्रेरित करता है ऐसे रास्तों को अपनाने के लिए जिनको साधारणतया प्रजातंत्रीय देश में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए । मै आपकी मार्फत गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इस सत्याग्रह मे जब श्री शेजवलकर जी ने 27 तारीख को प्रतिबन्धित क्षेत्र में प्रवेश किया तो उनकी गिरफ्तारी 28 तारीख

को किस कानून के अन्तर्गत हुई ? 24 घंटे का समय इसके बीच क्यों बीता है, इसके बारे में निश्चित रूप से स्पष्टीकरण आना चाहिए । उसके साथ-साथ जो यह जानकारी मिली है कि गुजरात सरकार की तरफ से सत्याग्रहियों को धूप में बिठाए रखा, बिना पानी के बिठाए रखा, क्या यह व्यवहार केन्द्र की सूचनाओं के अनुसार किया जा रहा है। अगर यह केन्द्र की सूचनाओं के अनुसार किया जा रहा है तो यहाँ की होम मिनिस्ट्री इसके लिये सीधे तौर पर जिम्मेदार है । उसने इस प्रकार के इन्स्ट्रक्शन्स कब दिए, क्यों दिए और इन इन्स्ट्रक्शन्स को देने में उसने क्या मसलहत समझी --इस सम्बन्ध में उसको स्पष्टीकरण देना चाहिए ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): Mr. Rajnarain.

SHRI K. S. CHAVDA (Gujarat): On a point of information. Shri Shejwalkar . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): I have called Mr. Rajnarain.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, भंडारी जी ने जो बात कहीं है उसमें मैं थोड़ा सा परिवर्धन करना चाहता हूं । 21 अप्रैल से सत्याग्रह शुरू है और सत्याग्रह घोषित है, उसके नियमित प्रस्ताव हैं, उसके नियमित मुद्दे है, सभी मुद्दों को देखा जाय तो मैं समझता हूं कि. . .

SHRI K. S. CHAVDA: On a point of order. Shri Shejwalker has not taken the oath. I would like to know whether we can discuss regarding the arrest of Shri Shejwalker.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): Yes, certainly we can.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: He has been notified as elected to the Rajya Sabha.

श्री राजनारायण : हमने तो ओथ ली है ।

श्री के० एस० चावड़ा : आपके बारे में बात नही कह रहा हूं ।

श्री राजनारायण : जरा दिमाग साफ रखो, छोटी बातों में न उलझा करो ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): I ruled that out.

श्री राजनारायण : तो, श्रीमन्, उसके स्पष्ट मुद्दे हैं, कच्छ एवार्ड को मानकर कंजरकोट, छाड़बेट, धाराबनी और नगर पाकर में जो इनलेट्स गई हैं उनको सरकार हरगिज-हरगिज पाकिस्तान को न दे । इस सम्बन्ध में हमारी रिट दाखिल है और आज भी चलने वाली हैं, इसके बाद वहाँ जाऊंगा । मैं आपके जरिए संसद्-सदस्यों और विशेषकर कानून मंत्री और गृह-मंत्री को बताना चाहता हूं कि 20 तारीख को सीधे-सीधे भुज से हम खावड़ा गए और खावड़ा से फिर आगे बढ़े । वहाँ से करीब 15-16 मील अन्दर एक ब्रिज है जिसका नाम इंडिया ब्रिज है । मैं आश्चर्यचकित हो गया कि उसका नाम इंडिया ब्रिज कैसे पड़ा । वहाँ के अफसरों से जानकारी हासिल की तो उन्होंने कहा कि इंडिया ब्रिज हमने नाम नहीं रखा है, पता नहीं कैसे हो गया; लेकिन जो भुज और खावड़ा के रहने वाले लोग हैं उनका कहना था कि भारत की सरकार इसको इंडिया ब्रिज इसलिए कहती है कि उधर की सारी जमीन भी अगर पाकिस्तान को चली जाय तो भी भारत की सरकार के मन पर कोई चोट नही आएगी । ऐसे आम जनता के मन में ख्यालात हैं । हम लोगों ने काफी प्रोटेस्ट किया--हमारे साथ लोकसभा के सम्मानित सदस्य, हमारी पार्टी के सदर श्री एस० एम० जोशी भी थे और लोग भी थे--कि जो इसको इंडिया ब्रिज नाम दिया गया है वह गलत नाम दिया गया है । उसके आगे प्रोहिबिटेड एरिया कहा

[श्री राजनारायण]

जाता है, उसके आगे पुलिस ने हमको रोका—यह 20 तारीख की बात है—हमने कहा 'क्यों', हम संविधान के मुताबिक अपनी मातृभूमि के किसी भी अंग पर जा सकते है बिना किसी हिचक के, बिना किसी बाधा के, तुम हमको रोक नही सकते हो। हमारे पास पार्लियामेंट कार्ड भी था, हमने कहा कि हम पार्लियामेंट के मेम्बर भी है जाने दो, हमारा नाम राजनारायण है। खैर, मुझको जाने नहीं दिया, कहा कि अफसरो से बात कर लीजिए, वहाँ फोन रखा हुआ है। उनसे बात किया तो कहा कि परमिट ले लीजिए, हमने कहा हम परमिट लेते नही, हम अपना अधिकार समझते है, छाडबेड की चौकी जो है उसके लिये जो एग्रीमेंट 30 जून 1965 को हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि छाडबेट की चौकी को रिआक्युपाई करें मगर उतनी ही स्ट्रैंथ में पुलिस फोर्स रहे जितनी कि 30 दिसम्बर 1964 के समय थी, तो जाहिर है कि वह छाडबेड की चौकी हमारी है वहाँ जाने दो, हम जाना चाहते है। 21 तारीख को हमारा सत्याग्रह घोषित था। हम उस दिन वापस आये। हम कलेक्टर से बात करते है तो कलेक्टर कहता है कि हमने 144 लगा दिया है। हमने कहा कि अभी 144 नही था अभी कैसे लगा दिया; 144 लगाने की प्रिरिक्विजिट क्या है, 144 किसी मजिस्ट्रेट की व्हिमस पर लागू होगा नही। कोई अपनी मातृभूमि की सीमा पर जाना चाहता है तो वहाँ भी लगा दे, आखिर 144 लगाने की कुछ आवश्यक शर्ते है, उन आवश्यक शर्तो की पूर्ति के बिना 144 लगाना गैरकानूनी है, अगर मजिस्ट्रेट नही माने। हम पाँच बजे, छ: बजे सुबह से चले, 21 तारीख को प्रथम जत्था था, हमारा नाम था, हमारे मित्र श्री मधु लिमये जो कि लोक सभा मे हमारी पार्टी के नेता है वह थे, श्री नाथपाई थे, और थे उसी तरह से। तो जब हम लोग गये, खावड़ा तक सत्याग्रह का जत्था चलता है, करीब दो मील हम गये तो वहाँ पर बडी तादाद में, कोई कई सौ की तादाद में, पुलिस और हो सकता है कि कुछ मैजिस्ट्रेट रहे हों। उन्होने कहा कि आप यहाँ से आगे नही बढ सकते, 144 लग गई है; यानी खावडा से दो मील की दूरी पर 144 लग गई। हमने कहा कि कैसे 144 लग गई, हम आपके 144 को आगे मानने से इंकार करते है। उन लोगों ने कहा कि हम नही जाने देंगे। हम उनके घेरे को तोडकर चले और फिर उन्होंने रोका तो हम बैठ गये, जबरदस्ती, बलपूर्वक, करीब आध घंटा या पौन घंटा बैठे रहने के बाद, पुलिस ने हम लोगों को सरकारी गाडी मे भेज दिया। अब यह देखा जाय कि वहाँ अखबार के लोग थे। मै जानना चाहता हूं, आज वर मंत्री इस बात को देखे, हम कोई चोर डाकू नही, हम कोई पाकिस्तानी नही, हम कोई चीनी नही। चीन के सामने तो घुटना टेका जाता है और अपने मुल्क के सत्याग्रहियों पर शान और डंडा दिखाया जाता है। तो जो सरकार अपने मुल्क के सत्याग्रहियो पर डंडे चलाती है वही सरकार विदेशी हमले के सामने घुटने टेकती है, यह दानों तरह ही स्थिति को नग माननीय सदस्य अच्छी तरह से हृदयगम करें और देखे कि क्या मामला है।

एक दूसरी बात मै यह कहना चाहता हूं कि अभी भी यहाँ पर बहुत से लोग गाँधी टोपी लगाते है और काँग्रेस की सरकार जो शुरू में आई वह सत्याग्रह रूपी माता की कोख से जन्मी है, सत्याग्रह-रूपी-माता के कोख से पैदा होने वाली काँग्रेस की सरकार आज सत्याग्रहियो के ऊपर डंड चला रही है, उसी माता की कोख पर लात मारी जा रही है।

उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव) : राजनारायण जी, आप तो सब नियमों को जानते है। शेजवलकर जी की अरेस्ट का एक मैसेज आया है उस पर आपको कुछ कहना है तो कहिये।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, उस पर ही मैं कह रहा हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव) : लेकिन वह एक विवाद का विषय नहीं बन सकता ।

श्री राजनारायण : मैं इसलिये यह बता रहा हूं कि शेजवलकर जी के साथ ही यह कोई नई घटना नही है । आपके सामने ही आपकी इजाजत से हमारे एक मित्र ने यह बात उठा ली कि शेजवलकर जी ने शपथ नही ले ली इसलिये उसकी चर्चा नही हो सकती है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव) : मैंने उस बात को नहीं माना । इसलिये आपको इर्रेलेवेंट नही एलाऊ करूंगा ।

श्री राजनारायण : मैं यही चाहूंगा कि मुझे इर्रेलेवेंट एलाऊ न करें और दूसरों को भी न करें और जो सही मर्यादा है उसकी सुरक्षा करें ।

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव) : और आप भी नियम का पालन करें ।

श्री राजनारायण : मैं यह अर्ज कर रहा हूं, मैं बहुत ही सफाई के साथ यह सरकार को कह देना चाहता हूं, उसी कच्छ के सवाल पर आज क्या हुआ, 13-14 लोग गिरफ्तार हुए, पार्लियामेंट के दो मेंम्बर हैं, एक लड़के को बुरी तरह से मारा गया, सारा खून से वह लथपथ हो गया, पकड़ कर ले गये । आखिर क्या अपराध है, क्या दोष है कि उनको गिरफ्तार किया गया ? श्रीमन्, उसी तरह से शेजवलकर जी के साथ भी व्यवहार हुआ । हमको किसी मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोडयूस नहीं किया गया और वहाँ से 90 मील की दूरी पर गाँधीग्राम में चिलचिलाती धूप में ले जा कर छोड़ दिया गया । जहाँ गिरफ्तार हुये उस गिरफ्तारी की जगह से 90 मील दूर गांधीग्राम है वहा ले जाकर छोड़ा गया । तो बिल्कुल अनियमित, बिल्कुल गैर-कानूनी किया जा रहा है, बिल्कुल संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही है आज वहाँ की राज्य की काँग्रेसी सरकार और केन्द्रीय सरकार के इशारे पर । तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार आग से न खेले, यह जो आत्मसमर्पण हो रहा है, यह जो मुल्क की जमीन का आत्मसमर्पण हो रहा है, ऐसा ना करे । वास्तव में देश की जनता जागी है और यह इस सत्याग्रह के मामले मे आपने देखा । वह चाहती है कि भारत की सरकार आगे अन्तर्राष्ट्रीय ट्राइ-ब्युनल में मामला ले कर न जाय और जो 1947 ई० की 15 अगस्त को सीमा थी उसी को ईमानदारी के साथ मानने को तैयार हो और क्रिएटिव एक्टिव वाडर मिलिटरी बनाई जाय; सक्रिय सृजनात्मक सीमा नीति चलाई जाय ।

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव): ये दूसरी बाते है ।

श्री राजनारायण : तो मैं इतना ही अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि यह सरकार गुजरात की सरकार को आदेश करे कि मातृभूमि की सुरक्षार्थ जो सत्याग्रही जा रहे हैं उनके साथ यह व्यवहार न हो, यह गैर-कानूनी व्यवहार न हो, असंवैधानिक व्यवहार न हो । वह राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होकर मातृभूमि की सुरक्षा के लिये अपने को न्यौछावर कर रहे है, अपना त्याग कर रहे है, कष्ट उठा रहे है इसलिये उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिये, अमानुषिक व्यवहार नहीं होना चाहिये ।

श्रीमन्, एक बात मैं आपके जरिये सरकार को और बता दूं कि खाबड़ा के आगे जो सड़क जाती है और जहां पर कि उन्होंने 144 लगा रखा है . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव): श्रीमन्, आपको स्थान ग्रहण करना चाहिये ।

श्री राजनारायण: . . .जहां कि शेजवलकर जी ने कानून को तोड़ा । जब हम सत्याग्रह

[श्री राजनारायण]

करते हैं तो हम खूब जानते है कि जो बुरा कानून है उसको तोड़ रहे है लेकिन उसकी मर्यादित सजा है, जिस कानून को हम तोड़ते है उस कानून के तदनुरूप ही हमको सजा भी होनी चाहिये मगर आठ-आठ मील तक लोगों को दौड़ाया जाय, दस-दस मील तक लोगों को दौड़ाया जाय यह ठीक नहीं । वहां बालू और नमक दोनों मिल कर 9 बजे के बाद हवा में उड़ने लगते हैं, लोगों की आंख खराब हो सकती है, लोगों के कान खराब हो सकते है, लोगों की तंदरुस्ती पर बुरा असर पड़ सकता है, इन तमाम चीजों को देखते हुए जब हम कानून तोड़ते हैं तो इस सरकार को कानून तोड़ने वालों के साथ उसी ढंग से बरतना चाहिये, वह क्यों नहीं उस के तदनुरूप ही, उसके अनुसार ही सजा नहीं देती, उसको बढ़ाती क्यों है, वह उनको कुरेदती क्यों है ? तो यह सारे के सारे प्रश्न उठे हुये है और मैं बता देना चाहता हूं कि अगर यह सरकार भुज, कच्छ, खाबड़ा या छाडवेट में सत्याग्रहियों के साथ अन्याय करेगी तो उसको यह समझ लेना चाहिये कि यह सत्याग्रह वहां पर नहीं चलता रहेगा बल्कि यह सत्याग्रह अहमदाबाद मे, दिल्ली में, पटना में, लखनऊ मे चल सकता है इस देश की चप्पे-चप्पे ज़मीन को, मातृ-भूमि को, खंडित होने से बचाने के लिये । अब हमारे देश के जो सच्चे सपूत है वह आगे बढ़ेंगे और वह दिन दूर नहीं जब कि हमारे शीलभद्र याजी भी हमारे साथ आयेंगे । इन शब्दो के साथ मैं चाहूंगा कि जो अनि-मितताये वहां बरती जा रही है उन पर सरकार फौरन से फौरन रोक लगाये ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): Mr. Chitta Basu.

SHRI CHITTA BASU (West Bengal): Mr. Vice-Chairman . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): Be brief. It cannot be a debate.

SHRI CHITTA BASU: . . . only a few minutes. I want to know whether the satyagrahis who are offering satyegraha in the Kutch area are being given A class after being taken into custody because they are all members of certain political parties. It is also a movement which is of a democratic nature. People have got a right to express their point of view and even to offer satyagraha. May I know, Sir, whether the Government has given any instruction to treat these satyagrahi prisoners as A class prisoners. This is very necessary because of the democratic nature of the satyagraha.

श्री जे० पी० यादव (बिहार): श्रीमन्, मैं आपके सामने माननीय सदस्य श्री शेजवलकर जी की गिरफ्तारी के विषय मे माननीय श्री भंडारी जी ने जो प्रश्न प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध मे दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि किसी भी राष्ट्र के राष्ट्र-प्रेमी को यह अधिकार है कि अपने देश की एक इंच ज़मीन भी अगर दूसरे देश ने किसी भी कारण से हथियाई हो तो उसका विरोध करे और कोई भी जो विरोध करने वाला है वह राष्ट्रीय कहलायेगा और वह विरोध करते हुये अपने जीवन तक का समर्पण कर सकता है अगर हम देखते है कि भारतवर्ष की सरकार, जो कि कांग्रेस की सरकार है, उसने समर्पण करने की नीति अपनाई है उसने सिर्फ देश का बटवारा ही नहीं किया बल्कि समर्पण भी किया, उसने चीनियों के हाथ अपनी 20-25 हजार वर्गमील का समर्पण किया, काश्मीर का एक तिहाई भाग समर्पण किया, उसी तरह से बेरूबारी का समर्पण करने का प्रयास किया और वह आज कच्छ के रन का 350 वर्ग मील का हिस्सा समर्पण करने जा रही है ।

इस समर्पण को रोकने के लिये ही माननीय सदस्य श्री शेजवलकर वहां पहुंचे और उनके साथ सैकड़ों सत्याग्रही भाग लेने के लिये गये लेकिन हमारी सरकार की यह नीति है कि जहां पर इस तरह की हमारी ज़मीन

घटने की बात होती है, जहां पर कोई देश हमारी जमीन को नोचता है, कोई विदेशी हमारी भूमि को दबोचता है तो वह शांति के पक्ष का समर्थन करते हैं। लेकिन जब वहां राष्ट्र का सेनानी जाता है तो जैसी कि कहावत है कि अपने द्वार पर कुत्ता भी बलवान होता है, उसी तरह से अपने घर में अपने सत्याग्रहियों के साथ छेड़खानी करते हैं।

अभी एक प्रश्न उठाया गया कि माननीय सदस्य ने शपथ ग्रहण नहीं किया। लेकिन जब इस सदन से किसी माननीय सदस्य को एम० पी० चुना जाता है तो उसकी एम० पी० बनने की विधिवत घोषणा सरकार द्वारा की जाती है। तो यह आवश्यक था कि एम० पी० का सम्मान उनको मिलना ही चाहिये था, और उनके साथ जाने वाले लोगों का भी सम्मान होना चाहिये था, कारण कि वह राष्ट्रीय सेनानी हैं, राष्ट्रीय सेनानियों का सम्मान होता आया है और होना चाहिये। मैं चाहता हूं सरकार इन सम्माननीय सेनानियों के साथ जो गड़बड़ी की गई है, अन्याय किया गया है उसकी जांच करे और जिन लोगों ने अन्याय किया है उनको उचित दंड दिया जाय।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): Mr. Shukla, have you anything to say?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): Not on this.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : What about my question? यह जो माननीय शेजवलकर जी ने 27 तारीख को प्राहिबिटरी एरिया में प्रवेश किया और 28 को वह गिरफ्तार किये गये और उनके साथ जो आदमी गए, सत्याग्रह करने के लिये, और हमारी जो जानकारी है कि दिन भर धूप में परेशान किया गया, पानी नहीं दिया गया, तो क्या यह केन्द्र की सूचना के अनुसार किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से इस बात की हमें संतुष्टि की जाय कि जो कुछ व्यवहार वहां पर सत्याग्रहियों के साथ किया जा रहा है इसमें केन्द्र की कुछ सूचना है या नहीं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): You can find out Mr. Shukla.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Sir, as far as my present information goes, this is not a fact. But in any case, since this matter has been raised in this House, I shall check up the position. But I do not think this could be the position.

श्री जे० पी० यादव : मंत्री महोदय ने कहा, मुझे कोई सूचना नहीं है। एक ही सांस में वे सब चीजों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं और दूसरी सांस में कहते हैं सूचना नहीं है। तो दोनों में कौन बात सही है। अगर उनको सूचना नहीं है और जो माननीय सदस्यों ने कहा वह ठीक नहीं है तो उन्हें दोनों में से एक बात को कहना चाहिये।

उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव) : अभी तो उनके पास यही सूचना है। बाकी पता करेंगे।

THE BIHAR AND UTTAR PRADESH (ALTERATION OF BOUNDARIES) BILLS, 1968.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमाओं में परिवर्तन तथा उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में वह लोक सभा द्वारा पारित किया गया है, विचार किया जाए।"

†["That the Bill to provide for the alteration of boundaries of the States of Bihar and Uttar Pradesh and for matters connected therewith, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."]

†[ ] English translation.